कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 13-04-2024

विषयः- फर्जी पत्रकार गिरोह का भंडाफोड़, 09 नफर फर्जी पत्रकार थाना लंका टीम द्वारा गिरफ्तार, हाईवे पर स्टिंग आपरेशन का भय दिखाकर आने-जाने वाले वाहनों एवं पुलिस कर्मियों से करते थे वसूली, कब्जे से रिपोर्टिंग माइक, रिपोर्टिंग स्टैण्ड, 03 अदद हैण्डहेल्ड सेट (वाकी-टाकी), कैमरा, भारी मात्रा में सिम कार्ड तथा नकली पहचान पत्र आगाज इण्डिया एवं मानवाधिकार आयोग व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण के साथ साथ घटना में प्रयुक्त वाहन इनोवा नं0 UP65EM5804 बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम तथा आगामी लोकसभा चुनाव- 2024 के मद्देनजर चोरी/लूट की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर व थाना प्रभारी लंका के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.04.2024 को लंका पुलिस द्वारा टीम गठित कर मलहिया पुल के नीचे निकट हरसेवानन्द पब्लिक स्कूल के पास से पूछताछ के उपरान्त 09 नफर छद्मवेशी तथाकथित पत्रकारों को हिरासत में लिया गया जिनके कब्जे से आगाज इण्डिया न्यूज एवं मानवाधिकार आयोग के के नकली पहचान पत्र, 11 अदद सिम कार्ड, रिपोर्टिंग माइक, माइक स्टैण्ड, 03 अदद वाकी टाकी (हैण्ड हेल्ड सेट), कैमरा एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण बरामद। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना विवरणः-

विगत 03-04 दिवस से पिकट व गश्त टीम में लगे पुलिस कर्मियों द्वारा बताया जा रहा था कि कुछ लोग एक वाहन में सवार होकर आते हैं तथा स्वयं को पत्राकार होने की बात बताते हुए स्टिंग का भय दिखाकर एवं हम लोगों को डरा धमका कर पैसों की मांग करते हैं तथा यह भी जानकारी मिली है कि हाइवे पर आने जाने वाली गाड़ियों को रोककर अवैध वसूली करते हैं। सूचना पर गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए थाना लंका पुलिस द्वारा टीम बनाकर एक संदिग्ध वाहन इनोवा नं0 UP65EM5804 को वाहनो से अवैध वसूली करते हुए पकड़ा गया पूछताछ के उपरान्त 09 नफर तथाकथित पत्रकारों को हिरासत में लिया गया जिनके कब्जे से नकली पहचान पत्र आगाज इण्डिया न्यूज एवं मानवाधिकार आयोग, सिम कार्ड, रिपोर्टिंग माइक, माइक स्टैण्ड, वाकी टाकी (हैण्ड हेल्ड सेट), कैमरा एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण बरामद हुआ।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि हम लोगों का एक संगठित गिरोह है जिसमें शामिल सभी सदस्यों को अलग-अलग कार्य आवंटित किया गया है। हमलोग हाइवे पर आने जाने वाले वाहनों को रोक कर स्टिंग

आपरेशन का भय दिखाकर एवं अवैध/ओवरलोडिंग तथा वाहन को सीज कराने की धमकी देकर उनसे पैसे वसूलते हैं तथा मार्ग में डियूटी पर नियुक्त पुलिस कर्मियों को वीडियो रिकार्ड करने एवं पत्रकार होने की बात बताकर डराते धमकाते हैं। मीडिया कर्मी होने की बात जानकर हमलोगों को कोई भी रोकता टोकता नहीं था तथा हमलोगों की अच्छी खासी कमाई हो जाती थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम-पता-

1. मृदुल कुमार तिवारी उर्फ आकाश पुत्र स्व0 गोपालजी तिवारी निवासी एन 10/72 ई-4, न्यू कालोनी, ककरमत्ता, बीएलडब्लू, थाना भेलूपुर, वाराणसी उम्र करीब 32 वर्ष (मुख्य सम्पादक)
2. लाल बाबू सोनकर पुत्र स्व0 बचाऊ सोनकर निवासी लहरतारा नई बस्ती, थाना मण्डुवाडीह, वाराणसी उम्र करीब 29 वर्ष (सहायक कैमरा मैन)
3. आकाश कुमार गौतम पुत्र गुलाब कुमार गौतम निवासी प्लाट नं0 218, डीह बाबा मन्दिर, लहरतारा नई बस्ती, थाना मण्डुवाडीह, वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष (रिपोर्टर)
4. गौरव कुमार भारती पुत्र गुरू प्रसाद निवासी म0नं0 222, डीह बाबा मन्दिर, लहरतारा नई बस्ती, थाना मण्डुवाडीह, वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष (वाहन चालक)
5. प्रकाश शर्मा पुत्र स्व0 कैलाश नाथ शर्मा निवासी प्लाट नं0 198, डीह बाबा मन्दिर, लहरतारा नई बस्ती, थाना मण्डुवाडीह, वाराणसी उम्र करीब 36 वर्ष (कैमरा मैन)
6. दिलीप कुमार पुत्र श्री केदारनाथ निवासी म0नं0 सी-33/149ए, चन्दवा छित्तूपुर, थाना सिगरा, वाराणसी उम्र करीब 33 वर्ष (रिपोर्टर/कैमरा मैन)
7. सावन कुमार नायक पुत्र स्व0 भानू प्रकाश निवासी प्लाट नं0 218, डीह बाबा मन्दिर, लहरतारा नई बस्ती, थाना मण्डुवाडीह, वाराणसी उम्र करीब 33 वर्ष (रिपोर्टर)
8. अनिल कश्यप पुत्र मजनू कश्यप निवासी प्लाट नं0 228/2 डीह बाबा मन्दिर, लहरतारा नई बस्ती, थाना मण्डुवाडीह, वाराणसी उम्र करीब 33 वर्ष (कैमरा मैन)
9. जितेन्द्र सोनकर पुत्र श्री विजय सोनकर निवासी सी-32/85 ए-2, चन्दवा छित्तूपुर, थाना सिगरा, वाराणसी उम्र करीब 33 वर्ष (रिपोर्टर)

विवरण बरामदगी (अभियुक्तगण के कब्जे से)

1. रिपोर्टिंग माइक-01 अदद आगाज इण्डिया
2. रिपोर्टिंग माइक स्टैण्ड- 01 अदद
3. वाकी-टाकी (हैण्ड हेल्ड सेट)- 03 अदद
4. मोबाइल सेल्फी स्टिक- 01 अदद
5. 360 डिग्री कैमरा- 01 अदद
6. कैमरा डाटा केबल- 02 अदद
7. पहचान पत्र- आगाज इण्डिया- 06 अदद, ह्यूमन राईट- 01 अदद, भारतीय मानवाधिकार आयोग- 01 अदद
8. मोबाइल फोन- 11 अदद
9. सिम कार्ड- 11 अदद
10. डाटा केबल- 03 अदद
11. वाहन इनोवा संख्या UP65EM5804 बरामद

12.अवैध वसूली के 600 रुपये बरामद।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- दिनांक- 13.04.2024 को स्थान- मलहिया पुल के नीचे निकट हरसेवानन्द पब्लिक स्कूल के पास से, थाना क्षेत्र लंका, कमि0 वाराणसी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

1. मु0अ0सं0- 0145/2024 धारा 419/420/467/468/471/384/411 भा0द0वि0 थाना लंका, कमि0 वाराणसी।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गौरव कुमार भारती-

1. मु0अ0सं0 667/2017 धारा 394/411 भा0द0वि0 थाना मण्डुवाडीह, कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक शिवाकान्त मिश्र, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. निरीक्षक अपराध सुहैल अहमद, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 अश्वनी कुमार राय, चौकी प्रभारी रमना, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
4. उ0नि0 अजय कुमार, चौकी प्रभारी नगवा, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
5. हे0का0 मनोज राय, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
6. हे0का0 कृष्णानन्द राय, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
7. का0 ऋषिकेष राय, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
8. का0 चंदन पाण्डेय, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
9. का0 दीपक मौर्य, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
10. का0 शुभम तिवारी, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
11. का0 चन्द्रशेखर मिश्रा, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
12. का0 चन्दन सिंह, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।